लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी, (राजस्व)
(जिला कलक्टर) चित्तौड़गढ़
पीठासीन अधिकारी **तारा चन्द मीणा,** आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या / 86 / 2021 (सू.अ.)
पंजीयन दिनांकः— 28.07.2021
G.C.M.S. NO. :- 2021/362

श्री लक्ष्मण सिंह पिता कल्याण सिंह राजपूत निवासी बड़ौली माधोसिंह, तहसील निम्बाहेड़ा

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़

प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम—2005

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निर्णय

दिनांक 24.08.2021

सूचना का अधिकार अधिनियम—2005 के तहत अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ के यहां सूचना चाहने हेतु एक आवेदन दिनांक 22.06.2021 को प्रस्तुत किया। प्रस्तुत आवेदन पर 30 दिवस की अवधि में भी अपीलार्थी को उसके द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराने से यह अपील प्रस्तुत की गई।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर इस न्यायालय के पत्रांक प्र.सं. सूचना का अधिकार 86 / 2021 / (24.08) / 754 दिनांक 29.07.2021 से लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ को दिनांक 24.08.2021 से पूर्व कमेंट्स प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करते हुए, अपीलार्थी को भी समसंख्यक पत्रांक (रजिस्टर्ड) से नियत दिनांक 24.08.2021 को अपना पक्ष रखने हेतु उपस्थित होने के लिये लिखा गया।

अपीलार्थी ने प्रार्थना पत्र दिनांक 16.08.2021 के माध्यम से अपना पक्ष रखा कि उक्त प्रकरण मे बडी राजनीतिक हस्तियां फंसी हुई है और वो प्रशासन को गुमराह कर रहे हैं। उक्त सूचना मुझे 30 दिन में देनी थी लेकिन 30 दिन की अवधि गुजरने के बाद भी तकनीकि कारणों से सूचना स्पष्ट नहीं होने का आरोप लगामर मेरे आवेदन को खारिज

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी
(जिला कलक्टर)
चित्तौड़गढ़ (राज.)

कर दिया है। इस गांव में मात्र 2–3 पेट्रोल पम्प है मुझे सभी पेट्रोल पम्प की नकलें दिला दे तो मेरी समस्या का समाधान हो सकेगा।

लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ ने अपने पत्रांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2021/489 दिनांक 05.08.2021 से कमेंट्स प्रेषित किये जो इस प्रकार है:–

1. यह कि प्रार्थी श्री लक्ष्मण सिंह सोलंकी निवासी बड़ौली माधोसिंह, तहसील निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़ द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत आवेदन पत्र दिनांक 22.06.2021 को प्रस्तुत किया, जो इस कार्यालय को दिनांक 25.06.2021 को प्राप्त होना सही है।
2. यह कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र से चाही जा रही सूचना के संबंध में प्रभारी अधिकारी, न्याय अनुभाग, जिला कार्यालय, चित्तौड़गढ़ के पत्रांक/न्याय/आर.टी. आई./16–12 ( )2021/2551 दिनांक 19.07.2021 से अवगत कराया गया है कि वांछित सूचना का विवरण स्पष्ट रूप से अंकित नहीं है, जिससे सूचना तैयार किया जाना सम्भव नहीं है। (पत्र की प्रति संलग्न है।)
3. यह कि प्रार्थना पत्र के संबंध में प्रभारी अधिकारी, न्याय अनुभाग, से प्राप्त पत्र मूल ही प्रेषित करते हुए इस कार्यालय के पत्रांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2021/2821 दिनांक 26.07.2021 से प्रार्थी को सूचना के संबंध में अवगत कराया गया है। (पत्र की प्रति संलग्न है।)
4. यह कि प्रार्थी प्रार्थना पत्र से वांछित सूचना के संबंध में प्रार्थी को अवगत कराये जाने से अब इस प्रकरण पर किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं रहती है। अतः अपील पर जवाब स्वीकार कर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील निरस्त योग्य होने से अपील को निरस्त कराने का श्रम करावें।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

हमने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील तथा लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ द्वारा अपने पत्रांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2021/489 दिनांक 05.08.2021 से प्रेषित कमेंट्स तथा उसके संलग्न अनुलग्नक का

अपीलीय प्राधिकारी
कलक्टर

अवलोकन कर उस पर मनन किया। जिसके अनुसार अपीलार्थी को लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) ने पत्रांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2021/2821 दिनांक 26.07.2021 से उसके द्वारा वांछित सूचना का स्पष्ट विवरण उपलब्ध कराने के संबंध में सूचित किया है, किन्तु अपीलार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी को उसके द्वारा वांछित सूचना का स्पष्ट विवरण उपलब्ध नहीं कराया गया।

यहां यह उल्लेखनीय है कि सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के तहत कोई भी सूचना चाहने हेतु आवेदक को वांछित सूचना का पूर्ण एवं स्पष्ट विवरण उपलब्ध कराना अनिवार्य है। उक्त प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी को वांछित सूचना का स्पष्ट विवरण उपलब्ध नहीं कराया है ऐसी स्थिति में अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध करवाया जाना सम्भव नहीं है। अतः अपीलार्थी को उसके द्वारा वांछित सूचना का स्पष्ट विवरण उपलब्ध कराने तथा अपीलार्थी द्वारा उक्त प्रकरण में उसके द्वारा वांछित सूचना का स्पष्ट विवरण उपलब्ध कराने के पश्चात् नियमानुसार अपीलार्थी को वांछित सूचना उपलब्ध कराने के निर्देशों के साथ अपील निस्तारित की जाती है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(तारा चन्द मीणा)
आई.ए.एस.
लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी
जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

क्र./सरिश्ता/प्र.सं./86/2021(सू.अ.)/552 दिनांकः- 26/8/2021

प्रतिलिपिः-

1. लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़
2. श्री लक्ष्मण सिंह पिता कल्याण सिंह राजपूत निवासी बड़ौली माधोसिंह, तहसील निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी
जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)